अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— एफ 7(366) परि/एच.एस.आर.पी/2012/पार्ट III / 6016 जयपुर, दिनांकः — 28/3/16

समस्त प्रादेशिक /अति. प्रादेशिक
जिला परिवहन अधिकारी।

विषय :— दिनांक 12.7.2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाये जाने का कलेण्डर बनाकर क्रियान्वित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :— जनहित याचिका संख्या 14060/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7(366) परि/एच.एस.आर.पी/2011 दिनांक 08.01.2016 के द्वारा दिनांक 15.07.2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर HSRP लगाये जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। आपको विदित है कि इस कार्य के संवेदक मै. रियल मैजोन राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड के साथ कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट दिनांक 15.05.2017 तक ही वैध है। अतः अवशेष करार अवधि में नये पंजीकृत होने वाले वाहनों के साथ ही दिनांक 12.7.2012 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर भी HSRP लगाया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में निम्न प्रकार से निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

1. राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके क्षेत्राधिकार में दिनांक 12.7.2012 से पूर्व पंजीकृत एवं स्वामित्व अंतरित की गयी समस्त श्रेणी के यानों का करार अनुबंध की अवशेष अवधि में प्रति कार्य दिवस के औसत संख्या के अनुरूप साप्ताहिक/पाक्षिक/ मासिक कलेण्डर तैयार करावें, तथा इस प्रकार से तैयार कलेण्डर संवेदक कंपनी और परिवहन मुख्यालय को 03.04.2016 तक प्रेषित करें। मासिक कलेण्डर एवं मासिक अनुपालना रिपोर्ट संलग्न प्रपत्रानुसार तैयार कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करें। प्रत्येक पंजीयन प्राधिकारी करार अवशेष 13 माह की अवधि में कलेण्डर इस तरह तैयार करें कि प्रत्येक माह लगभग 14 प्रतिशत वाहन कवर हो सकें, ताकि सभी वाहनों पर एच एस आर पी लगाई जा सके।
2. परिवहन कार्यालय में किसी भी कार्य (transaction) के लिए प्रस्तुत होने वाले वाहन या आवेदन के समय (यथा फिटनेस प्रमाण पत्र नवीकरण, पता परिवर्तन, स्वामित्व अंतरण, HPA, पृष्ठांकन आदि) यह सुनिश्चित किया जाना है कि उस वाहन पर HSRP लगने के बाद ही कार्य संपादित किया जावे।
3. पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत किये गये तथा अपने परिसर में वाहनों पर HSRP लगाये जाने के लिए अधिकृत किये गये वाहन डीलरों को यह आवश्यक रूप से निर्देशित एवं पाबंद किया जावे कि उनके वर्कशाप में सर्विस, मेंटीनेंस या रिपेयर आदि के लिए आने वाले वाहनों पर आवश्यक रूप से HSRP वाली प्लेट लगवायी जावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसे वाहनों पर लगाये जाने वाली प्लेट के लिए authorization slip जारी करने के लिए डीलर्स अधिकृत होंगे तथा अनुबंधकर्ता कंपनी को उपलब्ध कराये गये वाहन bulk data से limited fields को access कर सकेंगें ताकि वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य specification का मिलान कर यह निश्चित किया जा सके कि सही एवं संबद्व वाहन पर ही प्लेट लगाई जा रही है।
4. अनुबंधकर्ता कंपनी ने ऑनलाईन शुल्क जमा कराने का प्रावधान उपलब्ध कराया है अतः जिन वाहन स्वामियों द्वारा ऑन लाईन शुल्क जमा कराने का विकल्प चुना जाता है, उनसे शुल्क जमा कराने के बाद संबंधित वाहन पर नंबर प्लेट लगाये जाने का समय एवं दिनांक नियत

पुर

किया जावें तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि पूर्व से निर्धारित तारीख एवं समय पर नंबर प्लेट लगाई जावे।

5. जिन वाहनों पर उनके लिए निर्धारित कलेण्डर अवधि में HSRP conversion नहीं करवाया जाता है उनके विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाई जावे। विभागीय प्रवर्तन उड़नदस्तों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा इस कार्यवाही को प्रभावशाली तरीके से करवायाजावे।
6. चूंकि पुराने वाहनों पर HSRP लगाये जाने पर ज्यादा Embossing machine तथा man power की आवश्यकता होगी अतः आवश्यकता का आंकलन करते हुए यथेष्ठ संख्या में मशीन एवं man power उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय नोडल अधिकारी को अवगत करावें।
7. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन पंजीयन प्राधिकारियों से इस कार्य का समयबद्व एवं सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा पूर्णतया सूक्ष्म एवं सटीक मॉनिटरिंग करते हुए बिना व्याधा और व्यवधान के उक्त कार्यों को संपादित करायेंगे। इस बात का मुख्य रूप से सुनिश्चित किया जावे कि वाहन स्वामियों को HSRP के लिये निर्धारित दर पर ही प्लेट उपलब्ध करवाई जावे।
8. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने क्षेत्राधीन पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये कलेण्डर का व्यापक प्रचार प्रसार करवायेंगें तथा इस प्रकार से व्यवस्थापन करेंगें कि किसी प्रकार की अस्तव्यस्तता एवं आपाधापी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। HSRP लगाने वाले कस्टमर्स को प्लेट लगाने के लिए वाहन की आर सी/ या सत्यापित प्रतिलिपी, बीमा प्रमाण पत्र, वाहन स्वामी का पहचान पत्र तथा स्वयं उपस्थित नहीं होने की स्थिति में मुख्तियारनामा पेश करने हेतु भी प्रचारित किया जावे।
9. चूंकि परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 7(366) परि/एच.एस.आर.पी/2011 दिनांक 08.01.2016 के जारी होने के बाद राज्य में संचालित सभी वाहनों पर HSRP ही लगाया जाना अनिवार्य हो गया है अतः इनसे भिन्न रजिस्ट्रेशन प्लेटों का विक्रय रोका जाना आवश्यक है। अतः आपके क्षेत्राधिकार में वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेटस् के अनाधिकृत विक्रेताओं पर नियमानुसार पाबंधी लगायें तथा, अनाधिकृत विक्रय के विरूद्व अभियोग दर्ज करावें।
10. HSRP लगाते समय केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में वर्णित प्रक्रिया व प्रावधानों की पूर्णतया एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(पवन कुमार गोयल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपीः– / 6017-21 दिनांक 28/3/16

1. विशिष्ट सहायक , माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग।
4. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मुख्यालय।
5. मैसर्स रियल मैजॉन राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड को भेजकर लेख है कि प्रत्येक परिवहन कार्यालय में आवश्यकतानुसार एम्बोसिंग मशीन तथा मैन–पॉवर का व्यवस्थापन करावें।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (कर)

दिनांक 12.07.2012 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर **HSRP** लगाये जाने का कलेण्डर

पंजीयन प्राधिकारी का नाम ....

माह	दोपहिया वाहन	कार/एस यू वी	भार वाहन	मिनी बस/बस	ऑटो/ रिक्शा	ट्रैक्टर	अन्य वाहन	योग
HSRP प्लेट लगाने हेतु शेष बचे वाहन								
	सीरिज नंबर कहां से कहां तक							
अप्रैल, 2016								
मई, 2016								
जून, 2016								
जुलाई, 2016								
अगस्त, 2016								
सितम्बर, 2016								
अक्टूबर, 2016								
नवम्बर, 2016								
दिसंबर, 2016								
जनवरी, 2017								
फरवरी 2017								
मार्च 2017								
अप्रैल 2017								
मई 2017								
योग								

---4

पुराने वाहनों पर लगाई गई HSRP की मासिक अनुपालना रिपोर्ट

कार्यालय का नाम .... माह ....

	दोपहिया वाहन			कार/एस यू वी			भार वाहन			मिनी बस/बस			ऑटो/ रिक्शा			ट्रैक्टर			अन्य वाहन			योग		
1	2			3			4			5			6			7			8			9		
	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3	गत माह तक 1	चालू माह में 2	योग 3
कलेण्डर माह अनुसार कवर किये जाने वाले वाहनों की संख्या																								
HSRP लगाये गये वाहनों की संख्या																								
अवशेष वाहन																								
गत माह तक शेष वाहन																								
योग																								